न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 176/2011
आरसीएमएस सं0 2011/00218
अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट

1. शान्तिदेवी पत्नी श्रीराम
2. श्योपतराम पुत्र श्रीराम
3. डुंगर पुत्र श्रीराम

} जाति नयक निवासी चक 2 एस.जी.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. हेतराम
2. बीरबल लाल
3. मामराज
4. दलीप कुमार

} पुत्रगण हनुमान जाति नायक निवासी चक 2 एस.जी.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

5. मनीराम
6. बनवारीलाल
7. गोपालराम
8. गंगाराम
9. मानाराम

} पुत्रगण चुन्नीराम जाति नायक निवासी 2 एस.जी.आर. तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ, राजस्थान

10. दानाराम पुत्र चुन्नीराम जाति नायक निवासी चक 2 एस.जी.आर. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
11. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

विरूद्ध निर्णय व डिक्री द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा,
निर्णय व डिक्री दिनांक 25.07.2011 प्र. सं. 20/2010
अनवान हेतराम आदि बनाम मनीराम आदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:07:19 IST
Reason: SelfAttested

श्री कुलदीप सिंह धालीवाल, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री संजय चांडक, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1 ...
श्रीखुशकरण सिंह खोसा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 11

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक 17.6.22

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत पेश किया। वाद पत्र में कथन किया कि वादीगण की चक 2 एस.जी.आर के प. नं. 5/315 का किला नं. 1 ता 10 की 2.530 है0 कमाण्ड मय रास्ता भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 से 6 तथा प्रतिवादीगण सं0 7 के पति व प्रतिवादी सं0 8, 9 के पिता मृतक श्रीराम की संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण के नाम 0.759 है0 का हक व हिस्सा दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 7, 8, 9 के पूर्व श्रीराम का 1.265 है0 हिस्सा है जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण का अपने हिस्सा मुताबिक मौका पर कब्जा काश्त है एवं शांतिपूर्वक काश्त करते चल आ रहे हैं। वादीगण के पास में चक 2 एस.जी.आर. के प. नं. 5/315 के किला नं. 4, 6, 7 में 0.759 है0 कमाण्ड भूमि में मौका पर कब्जा काश्त है इतना ही हक व हिस्सा संयुक्त खाता की भूमि में वादीगण का बनता है। भूमि संयुक्त रहने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवाद रहता है। इसलिए वादीगण को चक 2 एस.जी.आर. के प. नं. 5/315 के किला नं. 4, 6, 7 में 0.759 है0 कमाण्ड भूमि बंटवारा में दी जाकर रकम राज अलग करने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट ने वादपत्र का विरोध किया एवं कथन कियाकि प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 9 के कब्जा काश्त में प. नं. 5/315 के किला नं0 1, 2, 5, 6, 9, 10 की भूमि है वादीगण का किला नं. 6 पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा वादीगण का कब्जा काश्त किला नं. 4 व 7 पर है। वादी ने दुर्भावनावश यह वाद पेश किया है जो खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा वादीगण का वादपत्र प्राथमिक डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:07:19 IST
Reason: SelfAttested

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय कतई गलत विधि विरुद्ध व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण की ओर से विवादित भूमि के 3 बीघा पर किसी भी रूप में अपना कब्जा साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किये। इसके अलावा प्रतिवादीगण सं0 7 से 9 ने अपना कब्जा काश्त प.

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

नं. 5/315 के किला नं. 1, 2, 5, 6, 9, 10 की भूमि पर साबित करने के लिए खेत पड़ोसी के साक्ष्य लेखबद्ध करवाई और दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में शुद्धकार प्रस्तुत की जिससे प्रश्नगत भूमि के किला नं. 6 पर प्रतिवादीगण सं0 7 से 9 का कब्जा होना सिद्ध है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण को 0.759 है0 का कब्जा होना मानकर भूमि का बंठवारा करवाने का अधिकारी मानकर भूल की है। वादीगण की और प्रस्तुत खाता विभाजन के वाद में मृतक श्रीराम की पुत्रियां जो वाद में आवश्यक पक्षकार थी को पक्षकार बनाये बिना प्रस्तुत किया है जबकि विधि अनुसार सभी खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि वादीगण की चक 2 एस.जी.आर के प. नं. 5/315 का किला नं. 1 ता 10 की 2.530 है0 कमाण्ड मय रास्ता भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 से 6 तथा प्रतिवादीगण सं0 7 के पति व प्रतिवादी सं0 8, 9 के पिता मृतक श्रीराम की संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण के नाम 0.759 है0 का हक व हिस्सा दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं0 7, 8, 9 के पूर्व श्रीराम का 1.265 है0 हिस्सा है जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण का अपने हिस्सा मुताबिक मौका पर कब्जा काश्त है प्रश्नगत भूमि संयुक्त खाते की भूमि है तथा वादीगण के 0.759 है0 हिस्सा भूमि है प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ब.हि.ब. 5/7 हिस्सा, दानाराम पुत्र चुनीराम 2/7 हिस्सा दर 506 है0 तथा श्रीराम जो कि प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 के पिता हैं के नाम से 1.265 है0 भूमि दर्ज कागजात है जो संयुक्त खाते की भूमि है। इस भूमि में सिविल न्यायलाय हनुमानगढ के यहां एक वाद विचारधीन था जिसमें वादीगण के पूर्व हनुमान के द्वारा एक अनुबन्ध के आधार पर एक बीधा प्रतिवादी सं0 7 को विक्रय किया जाना बताया है। हस्तगत प्रकरण खाता विभाजन का है खाता विभाजन हेतु प्रकरण [illegible] डिक्री किये जाने से किसी प्रकार का किसी भी पक्षकार को नुकसान नहीं है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:07:19 IST
Reason: SelfAttested

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजता प्रमाणित प्रतियॉ होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है प्रस्तुत दस्तावेज को अभिलेख पर लिया जाता है।

8. जहां तक गुणावुण का प्रश्न है अधिनस्थ न्यायालय में खाता विभाजन का वाद प्राथमिक डिक्री किया है जिसमें विचारण न्यायालय ने यह अभिमत दिया है कि इस भूमि में अभी एक सिविल न्यायालय हनुमानगढ के यहां एक वाद विचाराधीन है जिसमें वादीगण के पूर्वज हनुमान के द्वारा एक अनुबन्ध के आधार पर एक बीघा प्रतिवादी संख्या 7 को विक्रय किया जाना बताया है। हस्तगत प्रकरण खाता विभाजन का पेश किया है। खाता विभाजन हेतु प्रकरण प्राथमिक डिक्री किये जाने से किसी प्रकार का किसी भी पक्षकार को नुकसान नही होगा। साथ ही सिविल न्यायालय के यहां जो वाद विचाराधीन है उसका भी जो निर्णय होगा वह संबंधित पर लागू हो सकता है। चूंकि सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद का निस्तारण हो चुका है। और सिविल न्यायालय का निर्णय संबंधित पर लागू होगा। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा केवल प्राथमिक डिक्री पारित की गई है जिससे किसी के अधिकारों पर पर प्रभाव नही पड़ता है क्यों कि अभी तहसीलदार पीलीबंगा से खाता विभाजन का प्रस्ताव आना है अपीलाण्ट खाता विभाजन का प्रस्ताव के समय सिविल न्यायालय के निर्णय संबंधित कथन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कर सकता है उसके पास पर्याप्त समय है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.07.2011 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.6.22 मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:07:19 IST
Reason: SelfAttested

17/6/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)